जोधपुर में खुलेगी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ

चर्चा में क्यों?

5 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 'राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण'की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यह निर्णय राज्य कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत लिया है। इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर-19 में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने इस स्थायी पीठ में सदस्य के 2, सहायक रजिस्ट्रार का 1, सूचना सहायक के 2, वरिष्ठ सहायक के 2, कनिष्ठ सहायक के 3 एवं निजी सहायक ग्रेड-2 के 3 पदों सहित कुल 13 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। कार्यालय के लिये आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर हेतु 25 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरणों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि का त्वरित निस्तारण हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/permanent-bench-of-rajasthan-civil-service-appellate-tribunal-will-open-in-jodhpur